उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्याः /xxxi(15)/G–2013–40(सा0)/2016
देहरादूनः दिनांक 26 अगस्त, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16(5) में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को वेतन भत्ते तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्ते उसी प्रकार अनुमन्य होंगी, जिस प्रकार निर्वाचन आयुक्त को अनुमन्य है तथा राज्य सूचना आयुक्त को वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्त उसी प्रकार अनुमन्य होंगी, जो कि राज्य के मुख्य सचिव की हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को वेतन भत्ते के सम्बन्ध में उक्त धारा 16(5) में स्पष्ट प्राविधान है। शासन द्वारा सम्यक रूप से विचारोपरान्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–16(5) में की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सुविधायें निम्नवत् अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1. **मकान किराया भत्ताः–** मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के समतुल्य आवास की सुविधा। यदि मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के समतुल्य आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें वही आवासीय भत्ता देय होगा जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव को अनुमन्य करायी जाती है।

2. **यात्रा भत्ताः–** मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समतुल्य यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जायेगा तथा सूचना आयोग से सेवानिवृत्ति के समय भी राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समतुल्य यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जायेगा।

3. **अवकाशः–**

   (क) मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को प्रत्येक 06 माह की सेवा के उपरान्त 15 दिनों का उपार्जित अवकाश देय होगा।

   (ख) मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को वर्ष भर में 14 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।

   (ग) राज्य सूचना आयुक्तों को अवकाश मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

4. **अवकाश नकदीकरणः–**

मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को उनकी सेवनिवृत्ति के उपरान्त उनके द्वारा अर्जित उपार्जित अवकाश के बदले अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य किया जायेगा।

5. **अवकाश यात्रा सुविधाः–**

मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को 05 वर्ष के सेवाकाल में एक बार राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी।

6. **चिकित्सा प्रतिपूर्तिः–**

मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को उनके स्वयं पर की गयी चिकित्सा तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों की चिकित्सा के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य अनुमन्य होगी।

7. **वाहन सुविधाः–**

मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को शासकीय कार्य हेतु स्टॉफ कार तथा स्थानीय यात्रा हेतु 200 लीटर प्रतिमाह की अधिकतम सीमा तक ईंधन अनुमन्य होगा।

8. **दूरभाषः–**

राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्यालय/आवास पर एस0टी0डी0 सुविधायुक्त तथा इंटरनेट सुविधायुक्त दूरभाष की सुविधा अनुमन्य होगी।

9. **मोबाईलः–**

मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को रू0 15000/– तक की सीमा तक एक मोबाईल तथा रू0 1000 प्रतिमाह की दर तक मोबाइल कॉल्स की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. **विविधः–** किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिये कोई विशेष प्राविधान न किया गया हो, मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें ऐसे

नियम तथा आदेशों के नियन्त्रण में होगी जो उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव के सम्बन्ध में तत्समय लागू हों।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–820/xxvii/(7)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(डी0सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्याः 1069/xxxi(15)/G–2013–40(सा0)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र बहादुर)
अनु सचिव।